



अंत्योदय – सरल



हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड

बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना

(सेवा)

योग्यता

मंडियों में किसी प्लॉट/सम्पत्ति का मालिक।

प्रदान किए गए लाभ

प्लॉट/संपत्ति धारक किसी भी मार्केट कमेटी में अपनी सम्पत्ति के लिए बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस सेवा का लाभ उठा सकता है।

आवश्यक कागजात

1. परिवार पहचान पत्र
2. पहचान प्रमाण यानि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, (इनमें से कोई एक)
3. आवेदक से विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र।
4. स्वयं प्रमाणित आबंटन पत्र /हस्तांतरण पत्र/ हस्तांतरण विलेख/विक्रय पत्र (जो लागू हो) की प्रति

सेवा के लिए शुल्क :

सरकारी फीस	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई फीस नहीं	30/-रु0 प्रति आवेदन	30/-रु0 प्रति आवेदन

आर.टी.एस. समय सीमा : 15 दिन